

6/05/25 पञ्जाब की पंजी
कारी कर्मियों एवं पेंशनधारियों
सहस्रीयदार आबूरोड नं. 2 जिल्हे
पञ्जाब 132 दिनांक 05/05/25
रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया

कि इस प्रकार के मौजा-
दुनाफार पटवार मंडला कच्चीप
के खसरा नंबर 140, 141, 157,
63, 64, 66, 67, 70, 72, 83, 85⁹ स
88 कुल कितना 14 रकबा 9.5596
हेक्टर कृषि जमीन का मिला
एव वॉडोस के आधारे पर वजारा
चाहा गया है इस खसरे के
जन्म करने पर वादीगण व अधिकारीगण
के कुल 14 सह खातेदारों की
जोत होना एवं एक खातेदार
का ना होना जोत होने का
कथन किया

इस मौजा रिपोर्ट पर
कारी कर्मियों एवं पेंशनधारियों
की कलम प्रमाणकारी कर्मियों
ने वजरा के दौरान कथन
किया कि कुल सह खातेदार
जिनकी जोत हो चुकी है

— मजदूर

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

उनको डकन वाद में पकड़कर
 नहीं बनाया गया है।
 परीक्षा सरकार ने बंधन के
 तहत कथन किया कि राजस्थान
 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा
 53 (4) के अनुसार किसी जीव
 के किमाजन के बाद के सभी
 सह-अभिधायी और नू-धायक
 पत्रकार बनाया जाना आवश्यक
 है। परन्तु डकन अधिनियम
 जाहानगी अनुसार सभी सह-
 अभिधायियों को पत्रकार नहीं
 बनाया है क्योंकि डकन अधिनियम
 291 (1) में पोंच है
 में बहल पर मन्नत किया
 एवं पत्रावली पर उपलब्ध देहनावेजों
 का अन्वेषण किया पत्रावली
 पर जाहानगी संकलन 20 न 2-76
 अनुसार डकन वाद में जोगा हुआ
 धन्ना एवं धुली हुआ राजा को
 पत्रकार नहीं बनाया गया है ऐसी
 स्थिति में वाणीज्य का वाद पत्रावली नहीं
 होने से पत्रावली किमाजन है।
 पत्रावली में डकन अधिनियम धारक नोट
 से कफती।

सहायक कलेक्टर
 आधुरोड (सिरोही)